



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

“सार्वजनिक सूचना”

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुधा जेटली पत्नी श्री हिम्मत जेटली द्वारा खसरा संख्या— 99 मि०, 100 मि० व 101 मि० स्थित ग्राम—नूरनगर, गाजियाबाद की भूमि के 894.25 वर्ग मी० क्षेत्रफल पर पेट्रोल पम्प का मानचित्र आवेदन संख्या— **GDA/BP/23-24/0472** स्वीकृत किये जाने हेतु ऑन लाइन प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद महायोजना—2021 के अनुसार खसरा संख्या—99मि०, 100 मि० व 101 मि० स्थित ग्राम—नूरनगर, गाजियाबाद का भू—उपयोग क्रमशः खसरा संख्या—99मि० हेतु 45 मी० चौड़े जोनल मार्ग के मार्गाधिकार की भूमि छोड़ने के उपरान्त आंशिक भाग आवासीय एवं अवशेष भाग नदी / नदी संरक्षित क्षेत्र, खसरा संख्या—100 मि० हेतु 45 मी० चौड़े जोनल मार्ग के मार्गाधिकार की भूमि छोड़ने के उपरान्त अवशेष भाग नदी / नदी संरक्षित क्षेत्र, एवं खसरा संख्या—101 मि० हेतु 45 मी० चौड़े जोनल मार्ग के मार्गाधिकार की भूमि छोड़ने के उपरान्त अवशेष भाग आवासीय के अन्तर्गत प्रदर्शित है। गाजियाबाद महायोजना—2021 में जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधान के अनुसार आवासीय में पेट्रोल पम्प की क्रिया सशर्त अनुमति से अनुमन्य है। ऐसी क्रिया की अनुमति से पूर्व जन—सामान्य से एक माह हेतु आपत्ति / सुझाव प्राप्त किये जाने का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन में निहित है। उक्त के दृष्टिगत कोई व्यक्ति / संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति / सुझाव देना चाहे तो. उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति / सुझाव कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति / सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

सचिव

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, [f@Gda Ghaziabad](https://www.facebook.com/GdaGhaziabad) : [gdagzbgda](https://www.instagram.com/gdagzbgda)

हेल्पलाइन नं: 0120-4418384 व्हाट्सएप : 9990988004, वेबसाइट : www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प